महत्वपूर्ण एवं खास

एकतरफा प्रेम में युवती ने की आत्महत्या

बिलासपुर (आरएनएस)। एक तरफा प्रेम के चलते युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। मृतका अपने परिवार के साथ खेती बाड़ी का काम करती थी। घटना कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत भरारी की है, जहां की रहने वाली लक्ष्मी निर्मलकर नामक 18 वर्षीय युवती एक युवक से एक तरफा प्रेम करती थी, आज उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। इस मामले में कोटा पुलिस मर्ग कायम कर विवेचना में जुटी हुई है।

मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के निवास में 31 तक मिलने जुलने का कार्यक्रम स्थगित रहेगा

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री और मंत्रीगणों के सरकारी निवास में आम नागरिकों से मिलने जुलने का कार्यक्रम 31 मार्च तक स्थगित रहेगा। आम नागरिक अपनी समस्याओं को ई मेल अथवा डाक के माध्यम से पहुचा सकते है।

अंतर्राज्यी बस सेवा तत्काल प्रभाव से स्थगित

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण का प्रभाव छत्तीसगढ़ राज्य के कई सीमावर्ती राज्य में प्रकाश में आया है। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य में अन्य राज्यों से आने तथा जाने वाली बसों के परिवहन को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया गया है। इसके साथ ही अखिल भारतीय पर्यटक परमिट वाली समस्त यात्री वाहनों का संचालन भी आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया गया है। परिवहन आयुक्त सह अध्यक्ष राज्य परिवहन प्राधिकार छत्तीसगढ़ द्वारा सभी क्षेत्रीय और जिला परिवहन अधिकारियों को आदेश जारी कर इसका पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

भाप्रसे के दो-राप्रसे के एक अफसर के प्रभार में फेरबदल

रायपुर (आरएनएस)। राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसर दीपक अग्रवाल उप सचिव छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग नवा रायपुर को तत्काल प्रभाव से, प्रदेश नोवल कोरोना वायरस (कोविद-19) से संबंधित कार्य हेतु उन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी के रूप में संलग्न किया गया है। इसके अलावा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अफसर प्रभात मलिक संचालक संस्थागत वित्त को चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी चिप्स का अतिरिक्त प्रभार तथा डी राहुल वेंट उपसचिव, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग को उपसिचव छत्तीसगढ़ राज्य योजना आयोग, उपसचिव पर्यटन एवं संस्कृति विभाग का अतिरित प्रभार दिया गया है।

सीएम हाउस में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक शुरू

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में उनके निवास कार्यालय में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक चल रही है। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे, राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल, नगरीय प्रशासन मंत्री डा. शिव कुमार डहरिया, कोरबा सांसद श्रीमती ज्योत्सना महंत, मुख्य सचिव आरपी मंडल, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री सुब्रत साहू, प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास गौरव द्विवेदी, स्वास्थ्य विभाग सचिव श्रीमती निहारिका बारिक और राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य सहित अन्य अधिकारी उपस्थित हैं।

छग संगवारी संघर्ष समिति ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में शराब दुकानें 31 तक बंद करने की मांग की

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ संगवारी संघर्ष समिति के अध्यक्ष राजकुमार राठी ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए बताया कि कोरोना एलर्ट को लेकर जिस तरीके से माल, सिनेमाहाल, स्कूल, कालेज आदि की परीक्षाएं रोककर 31 मार्च तक रद्द की गई हैं वायरस के प्रभाव को रोकने के लिए उन्होंने भूपेश बघेल को ज्ञापन सौंपकर छत्तीसगढ़ समस्त शराब दुकानें 31 मार्च तक बंद करने की मांग की है। जारी विज्ञप्ति में राठी ने कहा कि प्रदेश में करीब 600 शराब दुकानों में सुबह 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक मदिरा प्रेमियों की भीड़ रहती है। आपस में सटकर रहने के चलते मदिरा प्रेमियों में भी कोरोना वायरस फैलने की सर्वाधिक संभावना है। ज्ञापन सौंपने के दौरान कार्यकारी अध्यक्ष मयंक श्रीवास्तव एवं महामंत्री सुब्रत घोष शामिल थे।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने ली विभागीय अफसरों की बैठक

» स्वास्थ्य मंत्री की अपील, बीमारी से डरें नहीं जागरूक रहें

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी रायपुर में कोरोना के मरीज मिलने के बाद से ही हड़कंप मच गया है। स्वास्थ्य विभाग का पूरा अमला हालात पर नजर रखे हुए हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ने आज विभागीय अफसरों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश दिया है।

स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आज विभागीय अफसरों की एक महत्वपूर्ण बैठक ली है। बैठक में प्रमुख मुद्दे के रूप में राजधानी में कोरोना वायरस पीड़ित युवती के सामने आने, उसकी जांच रिपोर्ट पॉजीटिव मिलने के बाद आगे की रणनीति बनाने यह बैठक आयोजित की गई थी। बैठक में बताया गया कि एक युवती जो विदेश यात्रा कर अपने घर लौटी थी उसमें कोरोना वायरस की पुष्टि हुई है और उसे तत्काल एम्स में भर्ती करा दिया गया है। एम्स में उपचार की पूरी व्यवस्था है तथा यहां भी पृथक से वार्ड बनाया गया है जहां संदिग्ध और पीड़ित मरीजों को बेहतर ढंग से उपचार की पूरी

व्यवस्था की गई है। बैठक में इस बात पर विशेष मंथन हुआ कि इस बीमारी को रोकने तथा पीड़ित व्यक्तियों का संक्रमण न फैले इसके लिए क्या-क्या और उपाय किए जा सकते हैं। यदि मरीजों की संख्या बढ़ गई तो इसके लिए क्या व्यवस्था है। इस पर विभागीय अधिकारियों ने बताया कि बड़े चिकित्सालयों से लेकर जिला अस्पताल तक इसके लिए तैयारी कर ली गई है। पृथक से वार्ड तैयार कर लिया गया है तथा करीब 400 बेड पृथक रखे गए हैं, ताकि संदिग्धों को अलग वार्ड में रखकर उनका उपचार किया जा सके। इधर स्वास्थ्य मंत्री श्री सिंहदेव ने कहा कि इस बीमारी से डरने की नहीं बल्कि जागरूक रहने की जरूरत हैं। सुरक्षा उपाय अपना कर तथा सामाजिक दूरी बनाकर इस बीमारी से आसानी से बचा जा सकता है। रायपुर में टेस्ट की पूरी व्यवस्था है। 26 जनवरी को जब इसकी सूचना मिली थी, तभी से स्वास्थ्य विभाग ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी।

ट्रेवल एजेंसियों को विदेश यात्राओं की व्यस्थाओं को प्रतिबंधित करने के निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. एस. भारतीदासन ने समस्त ट्रेवल एजेंसियों को किसी व्यक्ति द्वारा विदेश यात्राओं एवं भ्रमण के संदर्भ में टिकिट बुकिंग, पर्यटन व रूकने आदि के संदर्भ में की जाने वाली आवश्यक व्यस्थाओं को प्रतिबंधित करने के निर्देश दिए है।

ज्ञात हो कि भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस (कोविड-19) के रोकथाम एवं नियंत्रण के संदर्भ में विदेशी यात्राओं एवं भ्रमणों को लेकर एडवाईजरी जारी किया गया है। इसके साथ-साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी अपनी रिपोर्ट में कोरोना वायरस (कोविड-19) से प्रभावित देशों व इन देशों में इस वायरस के कारण हुए मृत्यु का विस्तृत ब्यौरा दिया है। वर्तमान में इन देशों की संख्या 150 से अधिक है। इन देशों में यात्रा को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित या सीमित किया गया है।

कोरोना वायरस कोविड-19 के रोकथाम एंव नियंत्रण के संदर्भ में यह उल्लेखित किया गया है। कि किसी व्यक्ति, संस्था, संगठन द्वारा जारी किसी भी निर्देश का उल्लंघन किया जाता है, तो वह भारतीय दण्ड संहिता 1860 (1860 का 45) की धारा 188 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

कोरोना से बचाव बरतने रायपुर परिवहन विभाग ने कर्मचारियों सहित वितरण किया सेनिटाइजर व मास्क

रायपुर (आरएनएस)। राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने महामारी बीमारी कोरोना से बचाव व सावधानी बरतने आरटीओ

प्रभारी ने मास्क व सेनिटाइजर ट्रांसपोर्टरो को इस बीमारी से बचाव एवं सुरक्षा करने की विधि बताया साथ ही जागरूक हो कर इस बीमारी से लड़ने लोगों को अपील की प्रमुख रूप से इस दौरान राजकुमार ध्रुव, सनथ कुमार जांगड़े, नारायण ध्रुव, किशन गुप्ता, सत्तु सिंह समाज सेवक, राजश्री साहू, योगेश्वर वर्मा, प्राची वर्मा, राजेश भार्गव उपस्थित थे।

आवासीय गृहों में दिव्यांगजन बुजुर्गों को कोरोना से बचाने निर्देश जारी

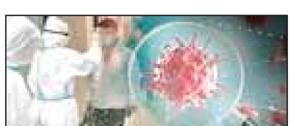

रायपुर। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव को दृष्टिगत रखते हुए राज्य में पंजीकृत दिव्यांगजनों की आवासीय संस्थाओं, वृद्धाश्रम, दिवा देखभाल केन्द्र, हाफ वे होम, प्रशामक देखरेख गृह में निवासरत आवासीय हितग्राहियों में संक्रमण रोकने तथा संक्रमण की अवस्था में नियंत्रण के लिए शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

समाज कल्याण विभाग द्वारा मंत्रालय से सभी संभागायुक्तों, कलेक्टरों और विभागीय जिला अधिकारियों को जारी निर्देश में कहा गया है कि संस्था में पृथक से आइसोलेशन वार्ड स्थापित करें। हितग्राहियों में लक्षण पाए जाने पर उन्हें पृथक से इस वार्ड में चिकित्सीय देखभाल में रखा जाए। संस्था में 31 मार्च तक किसी भी नए हितग्राही को प्रवेश ना दिया जाए। आकस्मिक स्थिति में हितग्राही का गहन परीक्षण उपरांत ही प्रवेश दिया जाए।

इन संस्था में निवासरत हितग्राहियों को बार-बार साबुन एवं साफ पानी से कम से कम 40 सेकेण्ड तक हाथ धोने के लिए प्रेरित करें। खांसते एवं छींकते समय रूमाल या कपड़े से मुंह और नाक को ढकने के लिए प्रेरित करें।

यदि बच्चे बीमार हैं तो अलग कमरे में रखें और मास्क का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें। उनके शरीर के तापमान की जांच नियमित रूप से करते रहे। सर्दी, खांसी या फ्लू जैसे लक्षण वाले किसी भी व्यक्ति के निकट संपर्क में आने से बच्चों को बचाएं। साथ ही उन्हें खांसने या छींकने वाले व्यक्ति से एक मीटर की दूरी बनाए रखने के लिए सलाह दें।

छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए कवर्धा में थल सेना भर्ती रैली 16 अप्रैल से

» रोजगार कार्यालय रायपुर में हेल्प डेस्क

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय थल सेना में भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिलों के योग्य युवा भारतीय थल सेना के वेबसाईट के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती रैली आगामी 16 अप्रैल से कबीरधाम (कवर्धा) के आउटडोर स्टेडियम में 8 विभिन्न पदों के लिए प्रारम्भ होगी। रैली के लिए आनलाईन आवेदन भरने का कार्य प्रारम्भ हो गया है। रायपुर के जिला रोजगार कार्यालय, पुराना पुलिस मुख्यालय में युवाओं की जानकारी देने तथा आवेदन पत्र भरने की सुविधा के लिए हेल्प डेस्क प्रारंभ किया गया है। जिसके माध्यम से आवेदक निःशुल्क ऑनलाईन आवेदन कर सकते है।

जिला रोजगार अधिकारी एल.ओ. लारी ने बताया कि भारतीय थल सेना के वेबसाईट ण्रवपदपदकपंदंतउलण्दपबण्पद के माध्यम से आवेदन भरने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2020 है। आवेदक 1 अप्रैल 2020 के बाद इसी वेबसाइट पर अपना ई-मेल पर लॉगइन करके प्रवेश पत्र, भरती की तारीख और रैली स्थान के विवरण की जानकारी एवं प्रिंटआउट ले सकते है।

श्रमिकों के बच्चों को मिलेगी यूपीएससी-पीएससी परीक्षाओं की कोचिंग

» श्रम मंत्री डॉ. डहरिया की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल की बैठक में निर्णय

रायपुर। श्रम मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया की अध्यक्षता में आज नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल के संचालक मंडल की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में डॉ. डहरिया ने बताया कि मंडल के अंतर्गत प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे-

यूपीएससी, पीएससी, एसएससी, रेलवे और बैंकिंग सेवाओं में प्रतियोगिता के लिए नई योजना तैयार की जाएगी। मंडल के सदस्यों ने अपनी सहमति प्रदान की है। श्रम मंत्री डॉ. डहरिया ने अधिकारियों को इस योजना के संचालन के लिए शीघ्र कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मंडल द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं पर आधारित एक म्यूजियम भी तैयार किया जाए। कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए प्रवासी श्रमिकों के राज्य से बाहर जाने एवं राज्य के बाहर से छत्तीसगढ़ आने वाले प्रवासी श्रमिकों पर निगरानी रखने के भी निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुसार श्रमिकों के मृत्यु एवं दिव्यांग सहायता योजना के तहत मृत्यु होने पर एक लाख रूपए और अपंगता की स्थिति में पचास हजार रूपये अनुदान दिए जाने की योजना का भी अनुमोदन सदस्यों ने किया।

कोविड-19 की रोकथाम के लिए रेलवे ने अतिरिक्त उपाय जारी किए

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय रेलवे ने कोरोना वायरस (कोविड-19) को फैलने से रोकने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त उपाय जारी किए है।

रेलवे सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार अनावश्यक यात्रा को हतोत्साहित करने और वरिष्ठ नागरिकों की असुरक्षित श्रेणी को अनावश्यक यात्रा करने से रोकने के लिए, मरीजों, छात्रों और दिव्यांगजन श्रेणी के लिए अनारक्षित और आरक्षित खंड को छोड़कर सभी टिकटों की रियायती बुकिंग को आगामी परामर्श तक 20 मार्च को 00:00 बजे तक निलंबित किया जा रहा है ।

इसी प्रकार ऐहतियाती उपाय के रूप में और गैर-यात्री यात्रा और रेलगाड़ियों की अधिक भीड़ को हतोत्साहित करने के लिए, अब तक कुल 155 जोड़ी कम बुकिंग वाली रेलगाड़ियों को 31 मार्च 20 तक रद्द कर दिया गया है। यात्रियों के लिए वैकल्पिक रेलगाड़ियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए

इन्हें रद्द किया गया है और यह सुनिश्चित किया गया है कि कोई यात्री फंसे नहीं। उन सभी यात्रियों को किराए की पूरी धनराशि की वापसी की जा रही है, जिनकी रेलगाड़ी रद्द कर दी गई है। भारतीय रेलवे ने भारत के दक्षिणी, उत्तरी-पूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में शैक्षिक संस्थानों को अचानक बंद करने के कारण देश के उत्तरी भाग में फंसे छात्रों के लिए अपने घरों में वापसी की सुविधा दी है।

यात्रियों को गैर-जरूरी रेल यात्रा से बचने और यह सुनिश्चित करने के लिए सलाह जारी की जा रही है कि यात्रा शुरू करते समय उन्हें बुखार न हो । यात्रा के किसी भी बिंदु पर यदि यात्री को लगता है कि उसे बुखार हो रहा है, तो वह रेलवे स्टाफ से चिकित्सा देखभाल और आगे की सहायता के लिए संपर्क कर सकता है । कोविड-19 के प्रसार के मद्देनजर रेलवे स्टेशनों पर अनावश्यक भीड़ से बचने के लिए, मंडल रेल प्रबंधकों (डीआरएम) को निर्देश दिया गया है कि वे रेलवे स्टेशनों पर स्थिति की समीक्षा करें।

जांच के नाम पर वाहन चालक हो रहे बेहाल, विधायक विकास उपाध्याय ने डीजीपी से की फोन पर चर्चा

रायपुर (आरएनएस)। राजधानी के ध्वस्त हो चुके यातायात व्यवस्था के बीच पुलिस की चालानी कार्यवाही से नागरिकों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए विधायक विकास उपाध्याय ने आज डीजीपी से फोन पर चर्चा की तथा गृह विभाग को भी इस समस्या से अवगत कराया। रायपुर पश्चिम के विधायक विकास उपाध्याय ने ट्रैफिक जांच के नाम पर हेलमेट और अन्य चेकिंग अभियान से आम नागरिकों को होने वाली परेशानियों को लेकर डीजीपी डीएम अवस्थी से फोन पर चर्चा की। विधायक उपाध्याय ने यातायात जांच के दौरान चौक-चौराहों पर यातायात जाम हो रहा है।

कोरोना : राजधानी रायपुर के साथ राज्य के सभी नगर निगम क्षेत्रों में धारा 144 लागू : भूपेश बघेल

» राज्य की जनता डरें नहीं ज्यादा सतर्क और सावधानियां बरतें

» मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों के नाम जारी किया संदेश

» कोरोना वायरस के उपचार के लिए सारी तैयारियां पूरी

» चिकित्सकीय स्टॉफ को विशेष भत्ता

» इमरजेंसी कम्युनिकेशन टीम लोगों को देगी सही जानकारी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना वायरस से पीड़ित एक मरीज के रिपोर्ट पॉजीटिव पाए जाने के बाद आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की जनता के नाम एक संदेश जारी किया है।

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेशवासियों से इस संकट की घड़ी में विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने अपने संदेश में कहा कि आप सब

जानते ही हैं पूरा विश्व इस समय कोरोना वायरस की महामारी की समस्या से जूझ रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोरोना वायरस का एक केस पॉजीटिव पाया गया है। जिसका समुचित उपचार एम्स रायपुर में चल रहा है। पीड़ित के परिवार के सभी सदस्यों और उनके संपर्क में आने वाले सभी लोगों की पहचान कर उनकों भी आईसोलेशन में रखा गया है। राज्य में कोरोना वायरस से उपचार की माकूल व्यवस्था है। इससे डरने या चिंतित होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हमें ज्यादा सतर्क रहना होगा और लापरवाही से बचना होगा। एम्स में योग्य चिकित्सक पीड़ित का उपचार कर रहे हैं।

देश में अभी तक अनेक कोरोना पीड़ित स्वस्थ्य हो चुके हैं। राज्य में विदेश यात्रा से लौटे सभी नागरिकों का स्वाथ्य परीक्षण कर उन्हें आईसोलेशन में रखने की प्रक्रिया जारी है। मैं फिर से अपनी बात दोहराता हूं, आपकी जानकारी में ऐसा कोई व्यक्ति है जो विदेशयात्रा से लौटा है और उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को रिपोर्ट नहीं किया है तो इसकी सूचना तत्काल टोल फ्री नंबर 104 में दें। लोगों को यह समझना होगा कि जानकारी छुपाने से कोरोना वायरस से बचाव नहीं होगा।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कृष्ण सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर्डे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक शैली के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU